संख्या-345/2021/1435रासनि/23-1-21-10रासनि/21

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभा गाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 13 दिसम्बर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से जनपद प्रतापगढ़ के 17 मार्गों के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-4954/(54-सी)/समग्र वृत्त/2021-22, दिनांक 24.11.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों/प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद प्रतापगढ़ के 17 मार्गों के कार्य हेतु कुल लागत रू0 10,73,76,000/- (रूपये दस करोड़ तिहत्तर लाख छिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल रू0 1,07,29,000/- (रूपये एक करोड़ सात लाख उन्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंत(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि ये कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जा य तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) प्रश्नगत कार्यो को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा ।

(3) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75,दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट(सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01-4-2014 से सेन्टेज कार्यांश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित प्राप्ति लेखाशीर्षक-"1054-00-800-05-00-00"में ट्रान्सफर इंट्री डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(4) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि शासनादेश सं0-3280(1)/23-9-05-25-20एसी/05, दिनांक 21.09.2005 एवं शासनादेश सं0-313-23-9-2013-20एसी/04टीसी, दिनांक 14.03.13 में की गई व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्षक"1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-04-टूल्स एवं प्लाण्ट की प्राप्तियां" में जमा करायी जायेगी ।

(6) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(7) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2022 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2022 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(8) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है । विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(10) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पदित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचिलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंत(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमत: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण-0024-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और अन्तत: लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण (8225)-24-वृहत निर्माण कार्य" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

संख्या-345/2021/1435रासनि (1)/23-1-21, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3. मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
7. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
8. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
9. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
10. लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
11. नोडल अधिकारी (ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश सं0–345/2021/1435रासनि/23–1–21–10रासनि/21, दिनांक 13.12.2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	प्रतापगढ़/प्रा0ख0	मंगरौरा भदौना मार्ग से भदौना सरोज बस्ती सं0मार्ग।	0.500	29.37	2.93
2	प्रतापगढ़/प्रा0ख0	सैफाबाद वारीकला भिवनी मंगरौरा कन्धई मार्ग से परसण्डा सरोज बस्ती सं0 मार्ग।	0.700	40.57	4.05
3	प्रतापगढ़/प्रा0ख0	खूझीकला से गंगागंज चौहान बस्ती सं0 मार्ग।	0.950	56.39	5.63
4	प्रतापगढ़/प्रा0ख0	गजरिया एएनएम केन्द्र से मोलनापुर ब्राम्हण बस्ती सं0 मार्ग।	0.700	39.40	3.94
5	प्रतापगढ़/प्रा0ख0	देल्हूपुर रसूलहा से पाल बस्ती सं0 मार्ग।	0.800	43.31	4.33
6	प्रतापगढ़/प्रा0ख0	गजरिया बीरापुर रोड से पण्डितान बस्ती सं0 मार्ग।	1.000	52.62	5.26
7	प्रतापगढ़/प्रा0ख0	गजरिया बीरापुर रोड से गोधू पट्टी से मोलनापुर सं0 मार्ग।	1.000	55.58	5.55
8	प्रतापगढ़/प्रा0ख0	धनगढ़ चौराहा से सरमा बस्ती सं0 मार्ग।	1.000	55.33	5.53
9	प्रतापगढ़/प्रा0ख0	पृथ्वीगंज पट्टी से समोगरा सं0 मार्ग।	1.750	83.58	8.35
10	प्रतापगढ़/प्रा0ख0	उड्डैयाडीह शीतलागंज मार्ग से जगदीशगढ़ हरिजन बस्ती सं0 मार्ग।	1.000	48.81	4.88
11	प्रतापगढ़/प्रा0ख0	दीवानगंज मंगरौरा से सरसीखाम पाण्डेय का पुरवा सं0 मार्ग।	1.500	81.83	8.18
12	प्रतापगढ़/प्रा0ख0	जोलहापुर खास सम्पर्क मार्ग।	0.400	19.17	1.91
13	प्रतापगढ़/प्रा0ख0	मानापुर सी0एच0सी0 से रामकृपाल के घर तक सम्पर्क मार्ग।	0.800	56.47	5.64
14	प्रतापगढ़/प्रा0ख0	दफरा मेन रोड से पूरे बालकिशन सम्पर्क मार्ग।	1.100	64.34	6.43
15	प्रतापगढ़/प्रा0ख0	पट्टी राजा बाजार मार्ग से बभनपुर पंचायत भवन वाया पाल बस्ती अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग।	1.500	101.48	10.14
16	प्रतापगढ़/प्रा0ख0	पट्टी राजा बाजार मार्ग से गधियांवा बस्ती प्राइमरी स्कूल वाया कमलेश पाण्डेय के घर सम्पर्क मार्ग।	2.000	113.13	11.31
17	प्रतापगढ़/प्रा0ख0	सेतापुर लिंक रोड ठाकुर बस्ती सम्पर्क मार्ग।	2.000	132.38	13.23
		योग		**1073.76**	**107.29**

(राज कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।